प्रवीण कुमार, अपर समाहर्त्त, सारण की अध्यक्षता में दिनांक 22.6.2015 को संपन्न जिला स्तरीय पदाधिकारियों की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितिः–

पंजी में संधारित है।

1– जिला कृषि पदाधिकारी, सारण, छपरा।

बैठक में उपस्थित जिला कृषि पदाधिकारी से KCC के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के क्रम में पाया गया कि वे बिना किसी प्रतिवेदन के बैठक में भाग ले रहे है। उन्हें निदेश दिया गया कि अगली बैठक में KCC से संबंधित विस्तृत प्रतिवेदन (बैंकवार) उपलब्ध करायेगें।

फसल क्षति की समीक्षा के क्रम में जिला कृषि पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि केवल दरियापुर एवं बनियॉपुर प्रखंड के द्वारा कार्य में तेजी नहीं लाई जा रही है शेष प्रखंडों में शतप्रतिशत कार्य पूर्ण कर लिया गया है। निदेश दिया गया कि हर हाल में 24 घंटे के अन्दर सभी फसल क्षती के मुआवजों को वितरित कर दें।

कृषि इनपुट की बैठक में अनुपस्थित प्रखंड कृषि पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन जिला कृषि पदाधिकारी, सारण)

2. जिला कल्याण पदाधिकारी, सारण, छपरा।

समीक्षा के क्रम में जिला कल्याण पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि Pre Matric के छात्रवृति का वितरण किया जा चुका है तथा Post Matric के छात्रवृति वितरण का कार्य चल रहा है।

3– कार्यपालक अभियन्ता, जिला शहरी विकास अभिकरण, सारणः–

आज की बैठक में कार्यपालक अभियंता, डूडा अनुपस्थित थें। उनके बारे में बताया गया कि वें विभागीय कार्य हेतु अधीक्षण अभियंता के कार्यालय, पटना गये हुए है।

- कार्यपालक अभियंता, डूडा को निदेश दिया गया कि जिस विभागीय कार्यवश वें पटना गये थे, उससे संबंधित पत्र की प्रतिलिपि उपलब्ध करावें तथा यह स्पष्ट करें कि क्या वें पटना जाने के लिए सक्षम अनुमति प्राप्त किए थें ?
- बैठक में उपस्थित कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि गॉधी चौक पर बन रहे नाले के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया है।
- नेहरू पार्क के संबंध में कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि कार्य तत्काल अवरुद्ध है क्योंकि उसमें लगने वाले टाइल्स (उसी रंग-रूप का) नहीं मिल रहा है।
- नेहरू पार्क के संबंध में गत बैठक में जिला पदाधिकारी महोदय द्वारा दिये गये निदेश के संबंध में पृच्छा की गई कि संबंधित संवेदक पर अबतक FIR क्यों नहीं दर्ज की गई तो उनके द्वारा संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया गया है।
- कार्यपालक अभियंता को पुनः निदेश दिया गया कि पूर्व में जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा दिये गये निदेश का अनुपालन करते हुए शीघ्र संबंधित संवेदक पर FIR दर्ज करावें अन्यथा संवेदक के साथ–साथ उन पर भी FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी।
- सोनपुर में पर्यटन विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में जानकारी के क्रम में कनीय अभियंता द्वारा बताया गया कि अगामी मेला के पूर्व सभी योजनओं को पूर्ण कर लिया जाएगा।

O/C

4– स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल–1 छपराः–

अपर समाहर्त्ता ने निदेश दिया कि कब्रिस्तान घेराबन्दी की योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए अविलम्ब पूर्ण करा दिया जाय।

5- जिला भू-अर्जन पदाधिकारीः-

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला पंचायतराज पदाधिकारी और मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद को क्रमशः विद्यालय भवन, पंचायत भवन और जिला परिषदीय डाकबंगला को हटवाने के लिये मुआवजा का भुगतान किया जा चुका है परंतु इनके द्वारा आज तक संबंधित संरचनाओं को नहीं हटवाने के कारण राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-19 का कार्य बाधित है। अपर समाहर्त्ता ने संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया कि वे तीन दिनों के अंदर अपने अपने विभाग से संबंधित भवनों को हटवा कर अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करें।

6- जिला समााजिक सुरक्षा कोषांगः-

सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा ने बताया कि सभी लाभूको को फोटोयुक्त पासबुक का निर्माण करा कर वितरण करा दिया गया है, परन्तु प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियापुर के द्वारा अभी तक कार्यालय से पासबुक प्राप्त नहीं किया गया है। अपर समाहर्त्ता के द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, बनियॉपुर को निदेश दिया गया कि अविलम्ब जिला समाजिक सुरक्षा कार्यालय से पासबुक प्राप्त कर उसका वितरण करना सुनिश्चित करें।

7- जिला शिक्षा पदाधिकारीः-

7.1 जिला पदाधिकारी के द्वारा दिये गये निदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी, ने बताया कि बनियापुर प्रखंड अंतर्गत करही में विद्यालय भवन का निर्माण कार्य को रोक दिया गया है।

7.2 जिला पदाधिकारी के द्वारा गत बैठक में दिये गये निदेश के अनुपालन में जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, पानापुर के वार्डेन एवं संचालक को कार्यमुक्त कर दिया गया है।

8- विविधः-

स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल-2 एवं कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल, छपरा द्वारा बैठक में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विभाग के कार्यो की समीक्षा नहीं हो सकी। अपर समाहर्त्ता द्वारा दोनो पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण पूछने का निदेश दिया गया।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा, छपरा।

अपर समाहर्त्ता,
सारण,छपरा

ज्ञापांक 459 / जि. वि.
छपरा,दिनांक 26 जून,2015

प्रतिलिपि सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि जिला पदाधिकारी, सारण की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
जिला विकास शाखा, छपरा।

अपर समाहर्त्ता,
सारण,छपरा